

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 5(य-)कोष/आयकर/

दिनांक:-

कोषाधिकारी
सीकर/जयपुर (शहर/सचिवालय)/करौली।

विषय:- आयकर विवरणी आयकर विभाग को भिजवाये जाने हेतु
कोषालय के सॉफ्टवेयर में प्रावधान कराने के संबंध में।

संदर्भ:- प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी. के पत्रांक: 194
दिनांक 12.07.2011

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है, कि एन.आई.सी. द्वारा
तैयार किया गया आयकर विवरणी 24 जी प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न कर
भिजवाई जा रही है। कृपया इसकी परिपूर्णता/पर्याप्ता की जाँच कर आप अपनी
टिप्पणी अविलम्ब भिजवाने का श्रम करें ताकि इस संबंध में एन.आई.सी. को
अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

Sd/

संयुक्त निदेशक (कोष एवं बजट)

क्रमांक:- एफ. 5(य-)कोष/आयकर/ 5091-5092 दिनांक:- 5/8/11
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

✓ 1. उप निदेशक (कोष) निदेशालय कोष एवं लेखा।

✓ 2. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी. को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।

10/11/18

संयुक्त निदेशक (कोष एवं बजट)